



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267175
CG-DL-E-27102025-267175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4708]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947

No. 4708]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4852(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 832(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित प्रादेशिक निदेशकों की स्थापना करती है, जो उन्हें उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करेंगे या नीचे दी गई सारणी के संगत स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट गए संबंधित क्षेत्राधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित करेंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	कार्यालय और स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, मुख्यालय, नई दिल्ली।	उत्तर प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
2.	प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय II, मुख्यालय, चंडीगढ़।	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर।

3.	प्रादेशिक निदेशक, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, अहमदाबाद।	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली।
4.	प्रादेशिक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, मुंबई।	गोवा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव और मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिले।
5.	प्रादेशिक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय II, नवी मुंबई में मुख्यालय।	मुंबई और मुंबई उपनगरीय के अतिरिक्त महाराष्ट्र के सभी जिले।
6.	प्रादेशिक निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, चेन्नई।	तमिलनाडु राज्य, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
7.	प्रादेशिक निदेशक, दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, बंगलौर।	कर्नाटक, केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप।
8.	प्रादेशिक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, कोलकाता।	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्य।
9.	प्रादेशिक निदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, गुवाहाटी।	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य।
10.	प्रादेशिक निदेशक, दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र निदेशालय, मुख्यालय, हैदराबाद।	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना राज्य।

2. सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निदेशक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याधीन उन्हें प्रदत्त या अधिनियम के उपबंधों के संबंध में उस अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित, जो भी लागू हों कार्य जारी रखेंगे।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में 01 जनवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-11/1/2024-प्रशा. II-एमसीए]

शान्तनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2025

S.O. 4852(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the notification of the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 832 (E), dated the 3rd November, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby establishes, the following Regional Directors in the Ministry of Corporate Affairs specified in column (2) of the Table below to discharge the functions conferred upon them by the said Act or delegated to them by the Central Government under said Act for the respective jurisdiction as indicated in the corresponding column (3) of the Table below, namely:-

Serial number	Office and location	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Regional Director, Northern Region Directorate I, Headquarter at New Delhi.	State of Uttar Pradesh and National Capital Territory of Delhi.
2.	Regional Director, Northern Region Directorate II, Headquarter at Chandigarh.	States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Union Territories of Chandigarh, Ladakh, Jammu and Kashmir.

3.	Regional Director, North-Western Region Directorate, Headquarter at Ahmedabad.	States of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
4.	Regional Director, Western Region Directorate I, Headquarter at Mumbai.	State of Goa, Union Territory of Daman and Diu and the Districts of Mumbai and Mumbai Suburban.
5.	Regional Director, Western Region Directorate II, Headquarter at Navi Mumbai.	All districts of Maharashtra other than Mumbai and Mumbai Suburban.
6.	Regional Director, Southern Region Directorate, Headquarter at Chennai.	State of Tamil Nadu, Union Territory of Puducherry and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
7.	Regional Director, South-Western Region Directorate, Headquarter at Bangalore.	States of Karnataka, Kerala and Union Territory of Lakshadweep.
8.	Regional Director, Eastern Region Directorate, Headquarter at Kolkata.	States of West Bengal, Bihar and Jharkhand.
9.	Regional Director, Northeastern Region Directorate, Headquarter at Guwahati.	States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.
10.	Regional Director, Southeastern Region Directorate, Headquarter at Hyderabad.	States of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Telangana.

2. The Regional Directors specified in column (2) of the Table shall continue to exercise the functions conferred upon them under the Companies Act, 1956 or delegated under that Act in respect of provisions of that Act, which are still in force.

3. This notification shall come into force with effect from 1st January, 2026.

[F. No. A-11/1/2024-Ad.II, MCA]

SANTANU MITRA, Senior Economic Advisor